

मीनालाल / छात्र

72/2017

वीस

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/9/17	<p>पत्रावली प्राप्त है। न्यायालय को ध्यान समझ के तब वकील वाडी के पत्र- द्वारा आवाज डिलायी गयी। वकील वाडी-असालतन व वकालतन अग्रिम है। अतः पत्रावली अग्रिम द्वारा अग्रिम पत्रों में खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज नगरे के अग्रिम है। डाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (जयपुर)</p>

न्यायालय मान
पक्ष का नाम